

एफ. सं. 2(54)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XI/2023

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
लोक उद्यम विभाग


लोक उद्यम भवन  
ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,  
लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 20<sup>th</sup> अप्रैल, 2023

कार्यालय जापन

विषय: - एचपीपीसी की सिफारिशों द्वारा शासित छठे सीपीसी वेतनमान पर सीपीएसईज़ के सीडीए प्रणाली के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2023 से डीए का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को डीपीई के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय जापन के पैरा 2 और अनुबंध-III जिसमें सीडीए वेतनमान प्रणाली को अपनाने वाले सीपीएसईज़ के कर्मचारियों को देय डीए की दरों को दर्शाया गया था, का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है।

2. कर्मचारियों को देय डीए दिनांक 01.01.2023 से 212% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 221% किया जाए।
3. महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों की उपेक्षा की जा सकती है।
4. ये दरें उन सीडीए कर्मचारियों के मामले में लागू हैं जिनके वेतन को डीपीई के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय जापन के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से संशोधित किया गया है।
5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के ध्यान में लाएं।


  
(नरेश कुमार)  
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार।
4. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय जापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

  
(नरेश कुमार)  
अवर सचिव